

उत्तर प्रदेश, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

निर्माण श्रमिकों हेतु पंजीयन प्रार्थना-पत्र

- नाम (हिन्दी में)* -
नाम (अंग्रेजी में)*
- पिता/पति का नाम (हिन्दी में)* -
पिता/पति का नाम (अंग्रेजी में)*
- माता का नाम (हिन्दी में)*------(अंग्रेजी में)*-----
- लिंग:* - स्त्री/पुरुष/अन्य 5.जन्मतिथि(अंकों में)* -(DD/MM/YYYY)
- श्रमिक के रोजगार का प्रकार* - 7. जाति:* -
- आधार संख्या * -9.शिक्षा -10. वैवाहिक स्थिति*:- विवाहित/अविवाहित/विधुर/विधवा
- मोबाईल नं0* -12. ई-मेल -13. राशन कार्ड सं0-.....
- आवेदक का अस्थायी/पत्र व्यवहार का पता* - मकान नं0-.....ग्राम*.....
पोस्ट* -थाना*:-.....ब्लाक/निकाय * -
तहसील*.....जिला* -पिन कोड* -
- आवेदक का स्थायी पता* - मकान नं0-.....गांव/वार्ड* - पोस्ट*.....
थाना*..... ब्लाक/निकाय * - तहसील* -
जिला* -पिन कोड* -राज्य* -
- नियोजक का नाम एवं पता: -
- गत 12 माह में निर्माण कार्य करने के दिनों की संख्या:.....
- पंजीकरण की राशि: ` 20.00 (बीस रूपया मात्र) अंशदान की राशि: ` 20/40/60 (बीस/चालीस/साठ रूपया मात्र)
- बैंक का नाम व शाखा (जहां अभिदान जमा किया गया हो): -.....
- श्रमिक का बैंक खाता संख्या* -आई0एफ0एस0सी0 कोड*:-.....
बैंक खाते का प्रकार*:-बचत/चालू/जनधन 21. ई0पी0एफ0 नं0(यदि पंजीकृत हो तो):-.....
- ई0एस0आई0 नं0 (यदि पंजीकृत हो तो) :-.....
- परिवार के सदस्यों के नाम*:-

क्र0 सं0	नाम		आधार सं0	लिंग	जन्मतिथि	सम्बन्ध (पति/पत्नी/अन्य)
	(हिन्दी में)	(अंग्रेजी में)				
1						
2						
3						
4						
5						

- नामिनी का नाम (हिन्दी में)*-----सम्बन्ध.....
(अंग्रेजी में)*
- यदि किसी अन्य राज्य में किसी बोर्ड में पंजीकृत हैं तो उसका विवरण:-.....

- मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त प्रविष्टियाँ सभी प्रकार से सही हैं। मेरे द्वारा 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया गया है तथा मेरे द्वारा अन्य किसी जनपद व स्थान पर पंजीयन नहीं कराया गया है।
- मेरा/मेरी आधार सं0 के वेरीफिकेशन किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

स्थान:दिनांक : श्रमिक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

आवेदनकर्ता के संक्षिप्त पूछताछ/जांच से निर्माण श्रमिक होने एवं विगत 12 माह में 90 दिन से अधिक कार्य किये जाने के दावे से मैं सन्तुष्ट हूँ।

पंजीयन अधिकारी
(मुहर/सील सहित)

पंजीकरण स्वीकृत/अस्वीकृत

क्रम संख्या:

दिनांक:

प्राप्ति रसीद

अन्तर्गत उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

श्री/श्रीमती.....पुत्र/पति/पत्नीसे उपरोक्त प्रपत्र संलग्नकों एवं पंजीयन शुल्क: ` 20/- एवं अभिदान शुल्क: ` 20/40/60 सहित कुल: ` 40/60/80 नगद/चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त किया।

हस्ताक्षर.....

नाम:

पदनाम:

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाएं

क्र०	योजना का नाम	देय हितलाभ
01	मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना	1. पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से 03 माह के वेतन के समतुल्य धनराशि एवं ₹0 1,000/- का चिकित्सा बोनस देय होगा। पंजीकृत पुरुष कामगारों को ₹0 6,000/- दो किस्तों में देय होगा। 2. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो नवजात शिशुओं के पौष्टिक आहार हेतु वर्ष में एक बार एकमुश्त लड़का पैदा होने पर ₹0 12,000/- वार्षिक तथा लड़की पैदा होने की स्थिति में ₹0 15,000/- प्रति शिशु की दर से शिशु की दो वर्ष की आयु पूर्ण होने तक देय होगा। 3. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम संतान लड़की होने अथवा दूसरी संतान भी लड़की होने पर ₹0 25,000/- बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, भुगतान किया जायेगा। जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को ₹0 50,000/- बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, भुगतान किया जायेगा।
02	सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना	पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 25 वर्ष तक के अधिकतम 02 बच्चों (पुत्र/पुत्रियों) को कक्षा-1 से उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूनतम ₹0 150/- मासिक से ₹0 2,000/- मासिक तक विभिन्न दरों से छात्रवृत्ति का भुगतान। पाठ्यक्रम ITI/Vocational course/professional Course, सरकारी संस्थाओं/कॉलेज के वार्षिक शुल्क के समान धनराशि देय है।
03	मेधावी छात्र पुरस्कार योजना	मेधावी छात्र/छात्राओं को कक्षा 05 से लेकर उच्च शिक्षा हेतु ₹0 4,000/- से ₹0 22,000/- तक की वार्षिक छात्रवृत्ति।
04	आवासीय विद्यालय योजना	पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 06 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को आवासीय सुविधा के साथ गुणवत्तापरक शिक्षा की निःशुल्क सुविधा।
05	कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना	श्रमिक या उसके पुत्र/पुत्री के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर व्यय की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति तथा प्रशिक्षण काल में श्रमिकों के मजदूरी का भुगतान।
06	कन्या विवाह सहायता योजना	श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु ₹0 55,000/- अन्तर्जातीय विवाह में ₹0 61,000/- प्रति विवाह अनुदान दो पुत्रियों के विवाह हेतु एवं सामूहिक विवाह की स्थिति में ₹0- 65,000/-
07	सौर ऊर्जा सहायता योजना	₹0 250/- में पंजीकृत श्रमिक के आवास पर सोलर पैनल, बैट्री, दो लाइट व पंखे की सुविधा प्रदान किया जाना।
08	निर्माण कामगार आवास सहायता योजना	1-पंजीकृत निर्माण श्रमिक के आश्रयहीन होने अथवा अधिकतम दो कच्चे कमरे वाले घर होने पर अपनी जमीन पर मकान बनाने अथवा मकान क्रय हेतु ₹0 1,00,000/- की आर्थिक सहायता दो समान किस्तों में दी जाएगी। यदि पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पास स्वयं का रिहायसी मकान है तो उसे मकान मरम्मत हेतु एक मुस्त ₹0 15000/- की धनराशि प्रदान की जाती है। 2-स्वयं का आवास होने पर शौचालय की सुविधा न होने पर शौचालय निर्माण हेतु ₹0 12,000/- की धनराशि दो सामान किस्तों में दी जाएगी।
09	चिकित्सा सुविधा योजना	पंजीकृत विवाहित निर्माण श्रमिक को प्रतिवर्ष ₹0 3,000/- एवं अविवाहित निर्माण श्रमिक को ₹0 2,000/- प्रतिवर्ष बैंक खाते में स्थानान्तरित की जाती है।
10	गंभीर बीमारी सहायता योजना	हृदय की शल्य क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर (यकृत) का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया पैर के घुटने बदलना, कैंसर का इलाज एच0आई0वी0 एड्स की बीमारी, आँख की शल्य क्रिया, पथरी की शल्य क्रिया, अपेन्डिक्स की शल्य क्रिया, हाइड्रोसील की शल्य क्रिया, महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर की शल्य क्रिया, सर्जिकल (बच्चेदानी/योनि) कैंसर की शल्य क्रिया बीमारी आदि गम्भीर बीमारियों के इलाज में सरकारी संस्था/सरकारी मेडिकल कालेज में किये गये व्यय की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति।
11	महात्मा गाँधी पेंशन योजना	निर्माण श्रमिक के 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने एवं तत्समय पूर्ववर्ती 10 वर्ष तक लगातार अंशदान जमा करने पर ₹0 1,000/- की आजीवन मासिक पेंशन।
12	निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता एवं अक्षमता पेंशन योजना	1. दुर्घटना से मृत्यु होने पर ₹0 5,00,000/- सामान्य मृत्यु पर ₹0 2,00,000/- स्थायी अपंगता पर ₹0 3,00,000/- एवं आंशिक अपंगता पर ₹0 2,00,000/- कार्य स्थल से इतर स्थायी अपंगता पर ₹0 2,00,000/- तथा कार्यस्थल से इतर अस्थायी आंशिक विकलांगता पर ₹0 1,00,000/-की आर्थिक सहायता एवं श्रमिक के पंजीकृत न होने की दशा में कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाने पर एवं ₹0 50,000/- की आर्थिक सहायता। 2. कार्यस्थल पर दुर्घटनाग्रस्त होने पर पूर्ण स्थायी अपंगता पर ₹0 1,000/- से ₹0 1,500/- प्रतिमाह आजीवन अक्षमता पेंशन।
13	निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना	पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर अन्त्येष्टि हेतु ₹0 25,000/- की आर्थिक सहायता।
<p>नोट: 1. सभी योजनाओं का लाभ केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये ही है। अंशदान नियमित रूप से जमा करायें। अंशदान जमा न होने पर कोई हितलाभ देय नहीं होगा। 2. किसी पंजीकृत श्रमिक के 18 वर्ष से कम आयु के पुत्र/पुत्री श्रमिक के रूप में कार्य करते पाए जाने पर सहायता नहीं दी जाएगी तथा पूर्व में दी गई सहायता वापसी ली जाएगी। 3. बोर्ड द्वारा पंजीयन, अंशदान तथा सौर ऊर्जा सहायता योजना में ₹0 250/- मात्र के अतिरिक्त कोई धनराशि नहीं ली जाती है। दी गयी राशि की रसीद अवश्य लें। किसी भी दलाल को कोई पैसा न दें। यदि कोई व्यक्ति लाभ दिलाने के लिये पैसे की माँग करता है तो तत्काल उसकी शिकायत उप श्रमायुक्त से करें।</p>		

बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं-

- मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना
- सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना
- मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
- आवासीय विद्यालय योजना
- कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
- कन्या विवाह सहायता योजना
- निर्माण कामगार आवास सहायता योजना
- चिकित्सा सुविधा योजना
- गंभीर बीमारी सहायता योजना
- चिकित्सा सुविधा
- महात्मा गाँधी पेंशन योजना
- निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता एवं अक्षमता पेंशन योजना
- निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना।